बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)–46–02 / 2025– 321

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
प0 चम्पारण एवं रोहतास।

पटना, दिनांक–09/03/2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति मदों में कुल राशि ₹13,84,886 / –(तेरह लाख चौरासी हजार आठ सौ छियासी रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि एवं अन्य मदों में पूर्व में विभागीय आवंटनादेश सं0–08 दिनांक–05.04.2025, आवंटनादेश सं0–66 दिनांक–20.05.2025, आवंटनादेश सं0–173 दिनांक–11.09.2025, आवंटनादेश सं0–174 दिनांक–11.09.2025, आवंटनादेश सं0–211 दिनांक–24.10.2025 एवं आवंटनादेश सं0–226 दिनांक–12.11.2025 द्वारा आवंटन दिया गया था।

2–उपरोक्त आवंटित राशि से जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पत्रांक–465 दिनांक–18.02.2026 द्वारा 0004.06.01–चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति ईकाई मद में कुल 13,42,141 / –(तेरह लाख बेयालीस हजार एक सौ इकतालीस रूपये मात्र) की राशि प्रत्यार्पित किया गया है, जिसे स्वीकार करते हुए कुल ₹13,84,886 / –(तेरह लाख चौरासी हजार आठ सौ छियासी रू0) मात्र की राशि निम्न प्रकार से पुर्नवंटन / आवंटन दिया जाता है।

क्र0सं0	जिला का नाम	चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद (06.01)	कुल योग
1	प0 चम्पारण	13,42,745	13,42,745
2	रोहतास	42,141	42,141
	कुल योग	**13,84,886**	**13,84,886**

कुल (तेरह लाख चौरासी हजार आठ सौ छियासी रू०) मात्र

3–कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष–2025–26 में आय व्यय शीर्ष माँग सं0–44–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यको का कल्याण– 02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–277–शिक्षा–0004–आवासीय विद्यालय–विषय शीर्ष 0004.01.0004.01.06–चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति मद में विपत्र कोड सं0–44–2225022770004 के उचित इकाई के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस आवंटित राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

5– वित्त विभाग के पत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय समय पर वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्रों एवं परिपत्रों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

6– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

7– संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए किया जाएगा।

8– आवंटनादेश में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

9– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को दी जा रही है।

10– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय। ।

विश्वासभाजन,

निदेशक

ज्ञापांक–4 / निदे0आ0वि0संधा0(वे0आ0)–46–02 / 2025– 321 पटना, दिनांक –09/03/20

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / अपर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, बिहार / संबधित प्रमंडलीय आयुक्त / संबंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित उप विकास आयुक्त / संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण / सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा / आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आव यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक